संख्याः 485/XXIV-2/2005

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल,देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनॉक 24 मार्च ,2005

विषयः बालक /बालिका योजनान्तर्गत लघु निर्माण कार्य मद में आयोजनेत्तर पक्ष में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या अर्थ–1/44920/बजट प्रस्ताव/2004–05 दिनॉक 9मार्च,2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय बालक एवं बालिका योजनान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार लघु निर्माण कार्य मद में कुल रू0 17.96 लाख के आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए उनके सम्मुख अंकित कुल धनराशि रू0 17.96 लाख (रूपये सत्रह लाख छियानब्बे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में शासनादेश संख्याः 303/ XXIV–2/2004 दिनॉक 27–8–2004 द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः–

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मार्म है, स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)— एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) — कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6)— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

(7)— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8)— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2— उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहॉ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–आयोजनेत्तर – 109– राजकीय माध्यमिक विद्यालय –03–बालक एवं बालिका के अन्तर्गत मानक मद –25– लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 457/ /वित्त अनु0–4/2005 दिनॉक 23/3/2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्याः 485 (1)/ XXIV-2/2005तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार,उत्तरॉचल, देहरादून।
2— जिलाधिकारी, चमोली, उधमसिंह नगर, देहरादून, टिहरी।
3— कोषाधिकारी, चमोली, उधमसिंह नगर, देहरादून, टिहरी।
4— जिला शिक्षा अधिकारी, चमोली, उधमसिंह नगर, देहरादून, टिहरी।
5— संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य ।
6— वित्त विभाग ।
7— कम्प्यूटर रोल (वित्त विभाग)
8— एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

शासनादेश संख्याः 485 /XXIV-2/2005 दिनांक 24-03-05 का संलग्नक

25— लघु निर्माण कार्य में स्वीकृत धनराशि का विवरण—

(धनराशि लाख में)

विद्यालय का नाम	आगणन की अनुमोदित लागत	स्वीकृत धनराशि
1	2	3
1. रा0इ0का0— गैरूड़, चमोली।	4.90	4.90
2. रा0क0इ0का0— जयनगर, उधमसिंह नगर।	2.00	2.00
3. रा0इ0का0—बारा, उधमसिंह नगर।	2.00	2.00
4. रा0उ0मा0वि0 बरहणी, उधमसिंह नगर।	2.00	2.00
5. रा0इ0का0 मेहुवाखेड़ागंज,उधमसिंह नगर।	2.37	2.37
6. रा0 इ0का0—मालदेवता, देहरादून।	1.89	1.89
7. रा0इ0का0 नरेन्द्र नगर।	2.80	2.80
योग—	17.96	17.96

(रूपये सत्रह लाख छियानब्बे हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव